

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 883 /2021

दिनांक : 20.04.2021

श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता (RJ0270). विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 08.02.2021 से 17.02.2021 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश ।
2. दिनांक 18.02.2021 से 20.02.2021 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-02, झालावाड़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 20.04.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/93/1996/ 2572

दिनांक 20.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ को उनके पत्रांक 44 दिनांक 26.03.2021 के मन्दर्भ में ।
3. श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता (RJ0270), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-02, झालावाड़ ।


सहायक रजिस्ट्रार